फा.स.सीबीएसई/समन्वय/आईपीएस/2023 21.12.2023

सेवा में,
सभी केंद्र अधीक्षक/प्रधानाचार्यगण/सीएनएस
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

**विषय: एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) में पदाधिकारियों के नाम और बैंक खातों का सही विवरण दर्ज करना ताकि उन्हें भुगतान सही ढंग से किया जा सके।**

महोदय/महोदया,
जैसा कि सीबीएसई द्वारा समय-समय पर पहले ही सूचित किया जा चुका है, परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा की गई ड्यूटियों के संबंध में भुगतान संबंधी डेटा अर्थात नाम, ड्यूटी की तिथि, बैंक खातों का विवरण आदि आईपीएस में संबंधित केंद्र अधीक्षक/प्रिंसिपल/मुख्य नोडल पर्यवेक्षक (सीएनएस) द्वारा भरा जाना है। इस डेटा का उपयोग आगे एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इसलिए, संबंधित लाभार्थी को भुगतान करने के लिए आईपीएस में पदाधिकारी विवरण की सही प्रविष्टि की जानी बिल्कुल अनिवार्य है। इस संबंध में किसी भी गलती के गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं।

2. यह संज्ञान में आया है कि परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित कुछ भुगतान आईपीएस में बैंक खातों के विवरण गलत भरने के कारण वास्तविक लाभार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को अनजाने में कर दिए गए थे। वास्तविक लाभार्थी अपनी देय राशि के लिए अनुरोध कर रहा है। केंद्र अधीक्षक/प्रधानाचार्य/मुख्य नोडल पर्यवेक्षक की गलती को सक्षम प्राधिकारी ने गंभीरता से लिया है।

3. सभी केंद्र अधीक्षकों/प्रिंसिपल/मुख्य नोडल पर्यवेक्षक (सीएनएस) को सलाह दी जाती है कि वे अत्यंत सावधानीपूर्वक सुनिश्चित करें कि पदाधिकारियों का भुगतान संबंधी डेटा (i) पदाधिकारी का नाम (ii) बैंक का नाम (iii) बैंक खाता संख्या, (iv) बैंक आईएफएससी कोड आईपीएस में बिल्कुल सही-सही भरे गए हों।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, निष्पादित ड्यूटी के सभी विवरण भी बिल्कुल सही भरे जाने चाहिए।

5. इस संबंध में किसी भी भूल-चूक के लिए केंद्र अधीक्षक/प्रिंसिपल/(सीएनएस) जिम्मेदार होंगे और बैंक खातों के विवरण आदि में गलती के कारण अनपेक्षित/गलत व्यक्ति को किया गया कोई भी भुगतान उनसे वसूल किया जाएगा।

**हस्ता/-**
**(डॉ. संयम भारद्वाज)**
**परीक्षा नियंत्रक**

प्रति: आवश्यक अनुपालन के लिए :

1. सभी क्षेत्रीय निदेशकगण/ क्षेत्रीय अधिकारी

2. वेबप्रबंधक को - सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

सूचनार्थ प्रति:

1. उप सचिव, अध्यक्ष कार्यालय, सीबीएसई।

2. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव।

3. आंतरिक लेखापरीक्षक एवं वित्त सलाहकार सीबीएसई।